न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— हनुमान सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण संख्याः— 50/2019
प्रार्थीः—

1. श्रीमति सरिता लोढा पत्नी श्रीपाल राज लोढा , जाति जैन निवासी सी —66/67 शास्त्री नगर जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगणः—

01. मागीलाल पुत्र जेरूपराम जाति जाट निवासी थोरियों की ढाणी पाल जोधपुर।
02. लादूराम पुत्र जैरूपराम जाति जाट निवासी थोरियों की ढाणी जोधपुर।
03. श्रीमति थौथी बाई पत्नी जैरूपराम जाति जाट निवासी थोरियों की ढाणी जोधपुर।
04. भवरलाल पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी थोरियों की ढाणी पाल जोधपुर।
05. कालूराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी थोरियों की ढाणी पाल जोधपुर।
06. सुखाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी थोरियों की ढाणी पाल जोधपुर।
07. फुसाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी थोरियों की ढाणी पाल जोधपुर।
08. मोहनराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी थोरियों की ढाणी पाल जोधपुर।
09. तहसीलदार जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट 1956</u>

आदेश — दिनांकः— 22 दिसम्बर 2020

उपस्थितिः— श्री सुमेरसिह झाला, अधिवक्ता प्रार्थी।
अप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीया सरिता लोढा की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 241/1 , 241/4 , 241/5 241/6 कुल रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा आई हुई है उपरोक्त कृषि भूमि को मुझ प्रार्थीया ने पूर्व खातेदारान मुकेश अग्रवाल वगैरा , चैनाराम, श्रीकिशन गहलोत वगैरा से जरिये अलग अलग रजिस्टर्ड बेचाननामा से क्रय की थी।

प्रार्थीया द्वारा अपनी उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा के सीमांकन हेतु श्रीमान तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर श्रीमान तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक 1717 दिनाक 07.02.2018 की पालना में पटवारी पाल उपरोक्त भूमि के सीमांकन हेतु मौके पर उपस्थित हुआ।

पटवारी पाल द्वारा दिनांक 09.01.2019 को मौके पर उपस्थित होकर मुझ प्रार्थीया के पा उपलब्ध श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) कार्यालय द्वारा जारी सुदा उपरोक्त खसरा की भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

नक्शा एवं स्वयं पटवारी पाल के पास उपलब्ध लट्टा में तरमीम सुदा नक्शे की सहायता से प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि का सीमांकन कर उपलब्ध मौतबिरान के समक्ष सीमांकन की रिपोर्ट तेयार कर श्रीमान तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई।

प्रार्थीया अपनी उपरोक्त खसरान की खातेदारी भूमि रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा पर पटवारी पाल द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार सीमा चिन्ह लगवाकर पत्थरगढी करवाना चाहती है ताकी भविष्य में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के पडौसी खातेदारान से अनावश्यक विवाद या मतभेद न हो।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया की खरीदसुदा खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 241/1 , 241/4 , 241/5 , 241/6 कुल रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर पटवारी पाल द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 अनुसार सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे। जिससे प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर सीमाचिन्ह अनुसार पत्थरगढी करवाकर मुटाम स्थापित किये जा सके व भविष्य में अनावश्यक विवाद से बचा जा सके।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से जारी किये गये । अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रार्थना–पत्र पर एक पक्षीय बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीनी की सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थीनी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 241/1 , 241/4 , 241/5 , 241/6 कुल रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा आया हुआ है । जिस भूमि पर पटवारी पाल द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 अनुसार सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे। जिससे प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर सीमाचिन्ह अनुसार पत्थरगढी करवाकर मुटाम स्थापित किये जा सके व भविष्य में अनावश्यक विवाद से बचा जा सके।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, राजस्व रेकर्ड, तहसीलदार जोधपुर की मौका/सीमांकन रिपोर्ट, दस्तावेजात् एवं दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रार्थना–पत्र पर की गयी बहस का अध्ययन कर विचार किया गया। प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र अनुसार ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 241/1 , 241/4 , 241/5 , 241/6 कुल रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमियां पूर्व खातेदार मुकेश अग्रवाल वगेरा, चैनाराम, श्री किशन गहलोत वगैरा से क्रय की गयी है। प्रार्थीया ने कुल रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा की भूमि जो क्रय की गयी उसके सीमाचिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी कर मुटाम लगवाने हेतु अनुरोध किया गया है। पत्रावली के साथ सलंग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 अनुसार प्रार्थीया द्वारा उपलब्ध

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

करवाये गये नक्शा जो जिला कलक्टर (भू.अ.) जोधपुर व तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा क्रमांक 1717 दिनांक 07.02.2018 से जारी किया हुआ है एवं नक्शा लटठा में खसरा नं. 241/1, 241/4, 241/5, 241/6 तरमीम सुदा है। मौका फर्द के नक्शे में काली स्याही से जो लाईन दर्शायी गई है वहां पर प्रार्थीया की पक्की दिवार बनी हुई है जबकि नक्शानुसार प्रार्थीया की भूमि 16–10 बीघा है जबकि मौके पर उक्त सीमांकन 15–00 बीघा भूमि मौजूद पाई गई है। प्रार्थीया के पास रकबा 1–10 बीघा भूमि कम पाई गई है।

इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीया की वर्तमान में मौके अनुसार भूमि 15 बीघा है लेकिन राजस्व नक्शे व रेकर्ड अनुसार प्रार्थीया की भूमि 16.10 बीघा है। इस प्रकार प्रार्थीया की मौके पर भूमि 1–10 बीघा भूमि कम है। प्रार्थीया अधिवक्ता की ओर से पूर्व में तहसीलदार जोधपुर की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 अनुसार किये जाने हेतु सहमति प्रकट की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी कायम कर मुटाम कायम दिनांक 09.01.2019 की सीमांकन रिपोर्ट अनुसार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा पाल पटवार क्षेत्र पाल भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र जोधपुर के खसरा नं. 241/1, 241/4, 241/5, 241/6 कुल रकबा 16–10 बीघा भूमि जिसका नक्शा कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) व तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा जारी किया हुआ है उस नजरी नक्शे में तरमीम सुदा भूमि 16.10 बीघा बतायी गयी है उसी नक्शे व सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 के अनुसार प्रार्थीया की भूमि का सीमांकन करते हुए पत्थरगढी कर मुटाम कायम किये जाने हेतु तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है। पत्थरगढी कायम करते समय पुलिस इमदाद की आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार पुलिस सहायता सक्षम अधिकारी से प्राप्त करे।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर 2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर